

# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. अरुण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 179/2026

चन्द्रकांत सैनी, पता शिवनारायण वार्ड नम्बर 8 नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू  
पिनकोड 333042 मो.न. 9694873224

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) नवलगढ़

सूचना का अधिकार अधिनियम  
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

## आदेश

दिनांक 04.05.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.04.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 179/2026 पर दिनांक 22.04.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) नवलगढ़ के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) नवलगढ़ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) नवलगढ़ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/1240-41 दिनांक 23.04.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) नवलगढ़ ने पत्रांक आरटीआई/2026/42 दिनांक 04.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलार्थी द्वारा आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन जिसके एप्लीकेशन नम्बर 348925772240427 दिनांक 21.03.2026 को प्राप्त हुआ है आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं पर बिन्दुवार जबाब तैयार कर कार्यालय उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थी को इस कार्यालय के क्रमांक आरटीआई/2026/34 दिनांक 17.04.2026 को प्रार्थी को ऑनलाईन पोर्टल के जरिये व रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन उनके कार्यालय में दिनांक 21.03.2026 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं पर बिन्दुवार जबाब तैयार कर कार्यालय उपलब्ध दस्तावेज अपीलार्थी को उनके कार्यालय के क्रमांक आरटीआई/2026/34 दिनांक 17.04.2026 को अपीलार्थी को ऑनलाईन पोर्टल के जरिये व रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 04.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( डॉ. अरुण गर्ग )

जिला कलक्टर, झुंझुनू